संख्या:5/2015/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/
   प्राविधिक शिक्षा/अल्प संख्यक कल्याण विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक,
   बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/
   प्राविधिक शिक्षा/अल्प संख्यक कल्याण विभाग

राज्य योजना आयोग-1, नियोजन विभाग
योजना भवन

लखनऊ:दिनांक:जून 01 , 2015

विषय: शिक्षण संस्थानों में प्रदेश में आधार नामांकन कार्य को अभियान के रूप में चलाये जाने हेतु विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन।

महोदय,

आधार कार्ड हेतु नामांकन तथा चयनित केन्द्रपोषित योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन तथा आधार कार्ड के साथ लिंकेज का प्रभावी अनुश्रवण विकास सूत्र संख्या-62 के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2015-16 में सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में समीक्षा के दौरान पाया गया कि 5-18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं में आधार नामांकन की प्रगति अपेक्षाकृत कम है। इस लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिये शासन द्वारा रणनीति निर्धारित की गयी है। तदनुसार प्रदेश में आधार परियोजना के क्रियान्वयन के अनुक्रम में आधार नामांकन का कार्य अभियान के रूप में चलाया जाना है।

इस सम्बन्ध में आपके विभाग के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों यथा-प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा संस्थान एवं मदरसों में विशेष आधार नामांकन शिविरों के आयोजन किये जायें। उक्त शिक्षण संस्थानों में आधार नामांकन प्रक्रिया के दौरान कक्ष उपलब्ध कराने तथा बिना शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुये विशेष आधार नामांकन शिविरों के संचालन हेतु समस्त सम्बन्धित को

http://shasanadesh.up.nic.in

सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये जायें।

यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना है।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या: 5/2015/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, तद् दिनांक:

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in